(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड-ii में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना संख्या: 51 /2025-26

दिनांक: 29th दिसंबर, 2025

विषय: - प्रति वित्तीय वर्ष 50,000 मीट्रिक टन ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात की अनुमति देने के संबंध में।

स.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वार, अधिसूचना संख्या 36/2023 दिनांक 18.10.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, एचएस कोड 17011490 और 17019990 के तहत ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधित नीतिगत शर्त के अधीन अनुमति देती है:

प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	मौजूद नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
1701 14 90, 1701 99 90	ऑर्गेनिक चीनी	प्रतिबंधित	दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 36/2023 के अनुसार अगले आदेशों तक एचएस कोड 17011490 और 17019990 के तहत ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को 'प्रतिबंधित' किया गया है।	एफटीपी, 2023 के अनुसार समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा निर्धारित तरीकों के अनुसार एचएस कोड 1701490 और 1701 9990 के तहत प्रति वित्तीय वर्ष में 50,000 मीट्रिक टन की निर्यात सीमा के अधीन ऑर्गेनिक चीनी का निर्यात किया जा सकता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

विदेश व्यापार नीति, 2023 के अनुसार समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया और एपीडा द्वारा अलग से निर्धारित तरीकों के अनुसार एचएस कोड 17011490 और 17019990 के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 50,000 मीट्रिक टन की कुल सीमा के अधीन ऑर्गेनिक चीनी का निर्यात अनुमत है।

(अजय भादू)
अपर सचिव, भारत सरकार एवं
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा.सं.01/91/180/879/AM08/ईसी/खंड.8/ई-20749 से जारी)

***